पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति-रा0क0अ0-2025-26// 1900 // राज्य कर

प्रेषक,

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) लखनऊ// दिनांक// 15 जुलाई, 2025

विषयः- राज्य कर अधिकारी की प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2025-26 में घटित रिक्तियों पर पदोन्नति फारगो के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि विगत वर्षो की विभागीय प्रोन्नति कोटे की राज्य कर अधिकारी के पद की रिक्तियों को भरे जाने से पूर्व पात्र कार्मिकों से अग्रिम फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त किये गये है ताकि रिक्त पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से चयन कराकर भरा जा सके।

अवगत कराना है कि सरकारी सेवको द्वारा पदोन्नति से इन्कार (फोरगो) किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-14/2022/सैतालीस-का-1-2022/13(4)/2022 दिनांक 06-10-2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा निम्नवत् दिशा-निर्देश जारी किये गये है :-

(क) पदोन्नति से इन्कार करने वाले सम्बन्धित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत् शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा।

(ख) एक बार पदोन्नति से इन्कार (Forgo) करने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सेवक की भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ग) ऐसे सरकारी सेवक जिनके द्वारा पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किया जाता है के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति से इकार करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेगें कि उन्हे भविष्य में, जनहित में, सम्वेदनशील/ महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।

चयन वर्ष 2025-26 की विभागीय प्रोन्नति कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष भी निकट भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही करायी जानी है जिसमें सम्भावित रिक्तियों की प्राप्त सूचना के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों की दिनांक 10-04-2023 को जारी ज्येष्ठता सूची के अनुसार सामान्य श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक-2009 तक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत स्थायी कार्मिकों तथा दिव्यांगजन श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक-2366, 2387, 2394, 2488, 2664, 2801 तथा ज्येष्ठता क्रमांक 2837 को पात्रता सूची में रखा जा सकता है।

अतः वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2025-26 के लिये प्रस्तावित चयन हेतु उपरोक्त ज्येष्ठता क्रमांक-2009 तक के स्थायी कार्मिकों तथा दिव्यांगजन श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक-2366, 2387, 2394, 2488, 2664, 2801 तथा ज्येष्ठता क्रमांक 2837 के कार्मिकों में से आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत यदि कोई कार्मिक राज्य कर अधिकारी के पद पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है तो शासनादेश दिनांक 06-10-2022 में दिये गये प्राविधानानुसार उससे इस आशय का विधिवत् शपथ पत्र प्राप्त कर लें कि **चयन वर्ष 2025-26 के लिये प्रस्तावित राज्य कर अधिकारी के पद हेतु डी0पी0सी0 में वह पदोन्नति का इच्छुक नहीं है तथा यदि उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक की राज्य कर अधिकारी के पद पदोन्नति कर दी जाती है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में** वह अपनी ज्येष्ठता के **अनुसार पदोन्नति दिये जाने के हकदार नहीं होंगे,** ताकि तदनुसार उसे डी0पी0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हे चयन

श्रीमती पूर्णिमा
15/07/25
D.C.(I.T)
15-07-25
1975

किये जाने अथवा उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक के चयन हेतु मामलें में चयन समिति के माध्यम से निर्णय कराया जा सके।

यदि उपरोक्त सम्बन्ध में कोई कार्मिक अपना सहमति पत्र प्रस्तुत करता है तो कृपया उसे प्रत्येक दशा में दिनांक- 31-07-2024 तक मुख्यालय को भिजवाये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से कि उक्त पत्र को कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 14/2022/सैतालीस-का-1-2022/13(4)/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊः दिनांक 06 अक्टूबर, 2022

विषयः- सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) करते हुए पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है अथवा एक बार पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किए जाने के पश्चात पुनः पदोन्नति की मांग की जाती है। इस प्रकार के प्रकरणों में शासन की कोई स्थापित व्यवस्था न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्णय लेने में असहजता की स्थिति का सामना करना पड़ता हैं।

2. अतः इस संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किए जाने के मामलों में, निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

(क) पदोन्नति से इन्कार करने वाले संबंधित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत् शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नही करेगा।

(ख) एक बार पदोन्नति से इन्कार(Forgo) करने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नही किया जाएगा।

(ग) ऐसे सरकारी सेवक जिनके द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किया जाता है, के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति से इन्कार करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेगें कि उन्हे भविष्य में, जनहित में, संवेदनशील/महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।

भवदीय

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।